प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

माननीय न्यायाधीश श्री प्रीतिंकर दिवाकर

दांडिक अपील क्रमांक 1004/2008

अपीलार्थीः राम निवास व अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीः छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः-

श्री जय प्रकाश शुक्ला , अपीलार्थी के अधिवक्ता

श्री भास्कर प्यासी पैनल अधिवक्ता हेतु, राज्य/प्रत्यर्थी ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अंतर्गत दांडिक अपील

निर्णय

(19.04.2012)

अपीलार्थी ने अतिरिक्त स़त्र न्यायाधीश (एफटीसी) मुंगेली,जिला बिलासपुर द्वारा सत्र विचारण क्रमांक 07/2007 में दिनांक 6.10.2008 को पारित निर्णय और आदेश के विरूद्ध यह अपील दायर की है,जिसमें अभियुक्त/अपीलार्थी को धारा 304(ख) भदवि के

तहत दोषी पाया गया और उनमें से प्रत्येक को सात वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया गया ।

2 . अभियोजन पक्ष का संक्षिप्त मामला यह है कि मृतका यशोमती ,अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 की पत्नी थी व उनका विवाह घटना की तारीख से दस महीने पूर्व अर्थात 7.3.2007 को हुआ था,जिस दिन 100% जलने से उसकी मृत्यु हो गई । मृतका के किसी नातेदार अयोध्या सिंह राठौर (असा-13)द्वारा उसी दिन मर्ग सूचना (प्रदर्श पी-13) दी गई थी तथा विवेचना पूर्ण होने के बाद ,आरोपी/अपीलार्थियों के विरूद्ध धारा 304(ख) सहपठित धारा 34 भदवि के अन्तर्गत अपराध के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) दिनांक 17.3.2007 दर्ज की गई थी तथा विवेचना पूरी होने के पश्चात उक्त अपराध के लिए दिनांक 13 .4.2007 अभियोग पत्र दाखिल किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अपने मामले के समर्थन में,अभियोजन पक्ष ने 15 साक्षियों का परीक्षण कराया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 3 13 के अंतर्गत आरोपियों/अपीलार्थियों के बयान भी दर्ज किए गए,जिनमें उन्होने अपने उपर लगे आरोपों से इनकार किया तथा स्वयं के निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का अभिवाक किया।

4 पक्षकारों को सुनने के पश्चात , अधीनस्थ न्यायालय ने अभियुक्त/अपीलार्थियों को दोषी पाया तथा कंडिका क्रमांक 1 में उल्लेखित अनुसार दंडित किया ।

5.अभियुक्त/अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने कथन किया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत कहानी अत्यंत असम्भाव्य है क्योंकि मृतका के रिश्तेदारों के अलावा किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने दहेज की मांग और उसके परिणाम स्वरूप अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा उसके साथ किए गए उत्पीडन और क्रुरता के बारे में कुछ नहीं कहा है। उनके अनुसार ,अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित साक्षियों के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास व लोप है तथा ऐसे साक्ष्यों के

आधार पर अभियुक्त/अपीलार्थियों की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। उनका मत है कि चूंकि मृतका विवाह के दस महीने बाद भी गर्भधारण नहीं कर पाई थी,इसलिए वह अवसादग्रस्त रहती थी और संभवतः यही उसके आत्महत्या जैसे चरम कदम उठाने का कारण हो सकता है। आगे अपीलार्थियों के अधिवक्ता का कहना है कि मृतका के अवसाद ग्रस्त होने की बात स्वयं उसकी मां गीता बाई (असा-8) ने कही है। उनके अनुसार, उनके शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई अतः यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा उसकी पिटाई कि जा रही थी।उन्होने आगे निवेदन किया कि मृतका के विवाह के समय दहेज आदि की कोई बात नहीं हुई थी ,और इस कारण अभियुक्त/अपीलार्थियों को भादवि की धारा 304(ख) के तहत दोषी ठहराना विधि की दृष्टि में दोषपूर्ण है।अंत में, उन्होने निवेदन किया कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्रमांक 1 पहले ही 3 महीने और 17 दिन जेल में ब्यतीत कर चुका है और इसी प्रकार अपीलार्थी क्रमांक 2 और 3 लगभग 1 महीने जेल में ब्यतीत कर चुके हैं , अतः उनके दंड को उनके द्वारा भुगती हुई अवधि तक कम कर दिया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6.दुसरी ओर प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कहा कि चूंकि विवाह के दस महीने के भीतर ही मृतका की अपने ससुराल में 100 प्रतिशत जलने से मृत्यु हो गई ,इसलिए ' दोषी नहीं ' यह साबित करने का भार स्वंय अभियुक्त/अपीलार्थियों पर है।राज्य के अधिवक्ता के अनुसार नंदिनी राठौर (असा - 1),गीता बाई (असा -8),विष्णु राठौर(असा -9), और राज कुमार राठौर (असा -12) ने स्पष्ट रूप से बताया है कि अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा मृतका के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा था और जब उनका व्यवहार मृतका के लिए असहनीय हो गया ,तो उसने आत्महत्या द्वारा अपनी जान देने का निर्णय लिया । साक्षियों के अभिसाक्ष्य में विरोधाभास और

कमियों के संबंध में, शासकीय अधिवक्ता का कहना है कि चूंकि वे ग्रामीण इलाकों के निवासी हैं, इसलिए ऐसी छोटी-मोटी विसंगतियां होना स्वाभाविक है और यदि इनका मामले में कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है,तो उन्हे नजरअंदाज किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि अभियुक्त/अपीलार्थियों द्वारा मृतका को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के जघन्य कृत्य को देखते हुए , उन्हे किसी भी प्रकार की नरमी का हकदार नहीं बनाया जा सकता है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन पर आरोपित दंड अत्यधिक नहीं है।

1 हमने पक्षकारों के अधिवक्तागण को सुना है तथा अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का परीशीलन किया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. नंदिनी राठौर(अ.सा. -1) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि सतनामी लड़का झाफल गांव आया और उसने मृतका की जलने से हुई मैात की सूचना दी । उसके पश्चात जब वह अभियुक्त/अपीलार्थियों के घर गई, तो उसने मृतका का जला हुआ शव घर के अंदर पड़ा पाया, जिसकी जीभ बाहर निकली हई थी । इस साक्षी के अनुसार , मिटटी तेल का डिब्बा भी रखा हुआ था । इस साक्षी ने आगे बताया कि मृतका का विवाह अभियुक्त/अपीलार्थी राम निवास से घटना से लगभग डेढ़ साल पहले हुई थी तथा वह भी विवाह में शामिल हुई थी। विवाह में मृतका के माता-पिता ने अपनी क्षमता के अनुसार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ,साइकिल,पंखा ,अलमारी,सोफा,पलंग,कुर्सी,बर्तन,कपड़े अैार गहने दिए थे।उसने आगे बताया कि विवाह के बाद जब मृतकाअपने मायके गई थी तो वह भी उसके घर गई अैार उसे बताया कि चूंकि उसके माता-पिता ने रंगीन टीवी,मोटर साइकिल अैार जमीन नहीं दी है,इसलिये अभियुक्त/अपीलार्थी उसे अपने मायके वापस जा कर ये चीजें लाने के लिए कह रहे हैं। अभियुक्त/अपीलार्थीयों ने दहेज की मांग को लेकर मृतका को गाली भी दी थी। साक्षी के अनुसार ,यह सुनकर मृतका को समझाया कि उसके माता-पिता ने अपनी क्षमता

के अनुसार सब कुछ दे दिया है। उसने आगे बताया कि विवाह से पहले वह अभियुक्त/अपीलार्थीयों को नहीं जानती थी तथा अभियुक्त/अपीलार्थीयों ने उसे मायके जाने कि अनुमति नहीं दी थी। उसके अनुसार ,विवाह के बाद मुतका दो बार अपने मायके गई थी,लेकिन उसे याद नहीं कि कितने दिनों के लिये वह वहां रही थी। आगे उसने बताया कि जब मृतका अपने घर आई थी,तो उसने अभियुक्त/अपीलार्थीयों द्वारा रंगीन टीवी,मोटर साइकिल और जमीन की मांग के बारे में बताया था। उसने स्वीकार किया है कि मृतका का अंतिम संस्कार उसके पति ने किया था और उस समय अभियुक्त/अपीलार्थीयों के रिश्तेदार भी मैाजूद थे । उसने बताया है कि मृतका का पति बिलासपुर में व्यवसाय करता था ,जहां वह मृतका को भी ले गया था । उसने यह भी स्वीकार किया है कि सेमरिया और झाफल गावों के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है और साइकिल से एक घंटे में एक छोर से दुसरे छोर तक पँहुचा जा सकता है। उसके अनुसार ,पुलिस को बयान देते समय उसने बताया कि जिस स्थान पर मृतका का जला हुआ शव पड़ा था, वहां अनाज, पलंग जैसी कुछ अन्य वस्तुएं भी पड़ी थी, लेकिन वे सुरक्षित थी।उसने यह भी स्वीकार किया है कि विवाह के बाद मृतका की कोई संतान नहीं थी। हालांकि, उन्होने इस बात से बात से इनकार किया है कि उन्होने किसी के दिशा निर्देश पर बयान दिया है या अभियुक्त/अपीलार्थीयों द्वारा रंगीन टीवी,मोटर साइकिल या जमीन की कोई मांग नहीं की गई थी ।उन्होने इस बात से भी इनकार किया है कि उन्होने अभियुक्त/अपीलार्थीयों को झूठे मामले में फंसाने के लिए न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया था । भरत लाल त्रिपाठी (अ.सा. -2) ,जो गिरफतारी ज्ञापन (प्रदर्श पी-1से पी 3) के साक्षी हैं ,ने कोई विशिष्ट बयान नहीं दिया है तथा उन्हे पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है।भगवान सिंह ध्रुव(अ.सा. -3) जिन्होने घटना स्थल का नक्शा तैयार किया था । चंद्रहास राजपूत (अ.सा. -4) , जो (प्रदर्श पी-5) के तहत मिटटी के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तेल के कंटेनर की जब्ती के साक्षी हैं,ने उस पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए हैं। पी.आर. निर्मल(अ.सा. -5),जो उस समय नायब तहसीलदार के पद पर तैनात थे,मृत्यु समीक्षा के (प्रदर्श पी-6) के साक्षी हैं। डॉ. जी.एस. दाऊ(अ.सा. -6) वह साक्षी हैं जिन्होने मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस साक्षी के अनुसार , मृत्यु का कारण जलने के परिणाम स्वरूप गैस की साँस लेना था तथा जलने के निशान मृत्यु से पहले के थे। हालांकि इस साक्षी ने बताया कि उन्होने मृतका के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं देखी थी। राधेश्याम राठौर (अ.सा. -7) वह साक्षी है जो मृतका के शव को ले गया (प्रदर्श पी-8)तथा उसके परिजनों को सैांप दिया (प्रदर्श पी-9)। गीता बाई (अ.सा. -8) - मृतका कि माता ने बताया है कि मृतका का विवाह 20 महीने पहले हुआ था तथा विवाह के समय उन्होने अपनी क्षमता के अनुसार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ,साइकिल,पंखा ,अलमारी,सोफा,पलंग,कुर्सी,बर्तन,कपड़े और गहने आदि दिए थे। उनके अनुसार ,हरेली पर्व के अवसर पर जब उनके पति मृतका को अपने घर ले जाने के लिए अभियुक्त/अपीलार्थियों के घर गए ,तो अभियुक्त/अपीलार्थीयों ने उन्हे यह कह कर नहीं भेजा कि जब तक रंगीन टीवी,मोटर साइकिल और जमीन नहीं दी जाती , तब तक वे मृतका को उनके साथ जाने नहीं देंगे । उन्होने आगे बताया कि तीजा पर्व के अवसर पर जब उनका बेटा मृतका को लेने के लिए अभियुक्त/अपीलार्थियों के घर गया ,तब भी अभियुक्त/अपीलार्थियों ने इसी बहाने मृतका को अपने साथ ले जाने से मना कर दिया । उसके अनुसार ,एक बार मृतका अपनी भाभी से मिलने झाफल गई थी, और वह भी बिना किसी को बताए उसके घर गई थी। पूछे जाने पर मृतका ने बताया कि वह बिना किसी को बताए उसके घर आई थी और अगर यह बात अभियुक्त/अपीलार्थियों को पता चल गई तो वे उसे मार डालेंगे। उसके अनुसार,मृतका ने उसे यह भी बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

उससे रंगीन टीवी,मोटर साइकिल और जमीन की मांग करते थे और उसकी पिटाई भी करते थे। उसने आगे बताया कि होली के अगले दिन जब वह मृतका से मिलने अभियुक्त/अपीलार्थियों के घर गई तो वह वहां एक दिन रुकी । इस दौरान मृतका ने उसे बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी क्र.1 (मृतका का पति) उसे बिलासपुर ले गया था और उसकी पिटाई की थी। इस साक्षी के अनुसार ,घर लौटने के बाद उसने यह सब अपने बेटे,बहु,और पति को बताया। इस साक्षी के अनुसार ,कोई सतनामी लड़का उसके गाँव आया और उसने मृतका के जलने से हुई मौत की सूचना दी। उसके बाद वह अपने पति व बेटे के साथ अभियुक्त/अपीलार्थियों के घर गई । इस साक्षी ने आगे बताया कि उसकी दृष्टि कमजोर होने के कारण वह देख नहीं पा रही थी, लेकिन छूने पर उसने मृतका के शरीर को अकड़ा हुआ व जीभ बाहर निकली हुई पाई। उसे और उसके पति को संदेह हुआ कि मांग पूरी ना होने के कारण मृतका का दम घोंट दिया गया था । हालांकि उसके लंबे प्रतिपरीक्षण में कुछ सुधार दिखाई देते हैं , परंतु गौण होने के कारण उन्हे नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि मुख्य तथ्यों पर वह अपने मुख्य बयान पर अडिग रही। मृतका के पिता विष्णु (राजपूत) राठौर (साक्षी-9) ने बताया कि मृतका का विवाह लगभग 20 महीने पहले हुआ था तथा विवाह के समय उन्होने अपनी क्षमता के अनुसार ब्लैक एंड व्हाइट टीवी ,साइकिल,पंखा ,अलमारी,सोफा,पलंग,कुर्सी,बर्तन,कपड़े और गहने आदि दिए थे। हरेली पर्व के अवसर पर जब उनके पति मृतका को अपने घर ले जाने के लिए अभियुक्त/अपीलार्थियों के घर गए थे,परंतु उन्होंने अपने साथ भेजने से मना कर दिया था । इस साक्षी के अनुसार ,मृतका रो रही थी और उसने उन्हे बताया कि अभियुक्त/अपीलार्थी रंगीन टीवी,मोटर साइकिल और जमीन की मांग करके उसे परेशान कर रहे थे, जिस पर उन्होने उसे सब सहने के लिए कहा और उसे समझाने के बाद वे घर लौट आए। तीजा पर्व के अवसर पर भी मृतका का भाई उसे लेने गया था ,परंतु इस बार भी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थियों ने उसे नहीं भेजा तथा उपरोक्त मांग उठाई। यद्यपि इस साक्षी के बयान में भी कुछ अतिश्योक्ति दिखाई देती है, परंतु महत्वहीन होने के कारण उन्हे नजर अंदाज किया जाना चाहिए। राकेश सिंह(साक्षी-10) वह पुलिस आरक्षक है जिसने रायपुर की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दो सीलबंद पैकेट जमा किए थे तथा इसकी रसीद प्रदर्श पी - 10 है। बलदाउ राठौर (साक्षी-11) मृत्यु समीक्षा नोटिस प्रदर्श पी-11 के साथ-साथ घटनास्थल के नक्शे प्रदर्श पी-12 का साक्षी है। हालांकि इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है, उसने उक्त दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किए है। मृतका के भाई राजकुमार राठौर (साक्षी-12) ने बताया है कि मृतका का विवाह लगभग 20-21महीने पहले संपन्न हुआ था और विवाह के समय उन्होंने अपनी क्षमता के अनुसार कई वस्तुएं दी थीं। प्रतिपरीक्षण में भी, मामूली विरोधाभासों और लोप को छोड़कर, यह साक्षी मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने बयान पर अडिग रहा। अयोध्या सिंह राठौर (अ.सा.-13) वह साक्षी है जिसने मर्ग की सूचना (प्रदर्श पी-13) दी थी, वह मौके पर मौजूद था और उसने जब्ती का समर्थन किया था। अमरीश मिश्रा (अ.सा-14) वह साक्षी है जिसने जांच में भाग लिया था। अनिल तिवारी (अ.सा-15) पुलिस निरीक्षक है जिसने इससे आर.डी.तिवारी- विवेचना अधिकारी, जिनका बाद में निधन हो गया- के हस्ताक्षर प्रमाणित हुए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इस मामले में अभियुक्तों/अपीलार्थीगणं की संलिप्तता के संबंध में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, भादस की धारा 304- ख के तत्वों पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत होता है, जो इस प्रकार है- भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ख) दहेज़ मृत्यु से सम्बन्धित होती है, जिसके प्रावधानों के अनुसार यदि किसी महिला की मृत्यु उसकी शादी के 7 बर्ष के अंदर हो जाती है, और मृत्यु का कारण उस महिला के पति या पति के किसी खास रिश्तेदार के द्वारा उस महिला के माता - पिता या परिवार वालों से दहेज़ की मांग होती है, या फिर महिला की

मृत्यु से ठीक पहले उसके साथ उसके पति या पति के किसी खास रिश्तेदार के द्वारा की गयी मारपीट या दुर्व्यवहार किया जाता है, या फिर महिला की मृत्यु का कारण उसके पति या पति के किसी खास रिश्तेदार के द्वारा शारीरिक क्षति होती है, या फिर उस महिला को जलाकर मार दिया जाता है, तो ऐसी स्तिथि में यह दहेज़ मृत्यु का मामला बन जाता है। इस उपधारा के प्रयोजनों में प्रयोग किये गए दहेज का वही अर्थ है, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) की धारा 2 में दिया गया है।

(2) जो कोई दहेज मृत्यु कारित करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की नहीं होगी किन्तु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा ।

साक्षियों के साक्ष्यों पर बारीकी से नजर डालने से स्पष्ट होता है कि मृतका की विवाह के एक साल के भीतर ही अभियुक्त/अपीलार्थी क्र.1 से उसे उत्पीड़न और क्रुरता का शिकार होना पड़ा, और वे उससे रंगीन टीवी, मोटरसाइकिल और जमीन की मांग करते थे। साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब भी मृतका के पिता और भाई उसके ससुराल आते थे, अभियुक्त/अपीलार्थीगण उसे अपने साथ मायके नहीं जाने देते थे। यह न्यायालय अपीलार्थीगण के अधिवक्ता के इस तर्क में कोई दम नहीं पाता कि अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षित सभी साक्षी मृतका के रिश्तेदार हैं, इसलिए उन पर अभियुक्त/अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे बृद्ध साक्षी है और उनसे अभियुक्त/अपीलार्थीगण के पक्ष में साक्ष्य देने की उम्मीद नहीं की जा सकती । इसका कारण यह है कि ऐसे मामलों में केवल रिश्तेदार ही मृतका द्वारा बताए गए तथ्यों का सही विवरण दे सकते हैं, और केवल मृतका से संबंधित होने के कारण उनकी साक्षी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि अभियुक्त/ अपीलार्थीयों ने मृतका से बार-बार कहा था कि वह अपने मायके जाकर कलर

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

टीवी, मोटरसाइकिल और जमीन ले आए, और इन चीजों के बिना उसे वहां जाने से मना किया गया था। ये सभी बातें एक नवविवाहित लड़की के मन में गहरा आघात पहुँचाने के लिए पर्याप्त है, जिससे अंततः वह आत्महत्या करने पर विवश हो जाती है। शायद इस मामले में भी यही हुआ था।

11.अतः उपरोक्त चर्चा के आधार पर , इस न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थियों को भा.द.स. की धारा 304 (ख) के तहत दोषी ठहराने के निर्णय में कोई अवैधता का अनियमितता नहीं दिखती। तदनुसार, अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस प्रकार अपील विफल होती है और खारिज की जाती है। आक्षेपित निर्णय को साक्षियों के साक्ष्यों के अनुरूप होने के कारण अपरिवर्तित रखा जाता है। अपीलार्थी पहले से ही जेल में हैं, इसलिए उनके आत्मसमर्पण आदि के संबंध में कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By AMIT TIWARI